<u>कार्यालय सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी मण्डल, वाराणसी</u>

पत्रांक 2124 /आई/ ~~वी~~–I-34748/2025–26/ वाराणसी :: दिनांक 16/10/25

सेवा में,

प्रबन्धक/मंत्री /सचिव,

सन्वीय इंग्लिश स्कूल सोसाइटी

वाराणसी

महोदय,

संस्था का पंजीकरण/नवीनीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 3 व 3 ए के अन्तर्गत संस्थाहित में जारी किया जा रहा है। संस्था का पैन नम्बर, एकाउन्ट नम्बर व सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 4 ख के अन्तर्गत साधारण सभा की सूची, साधारण सभा की सदस्यता पंजिका और उसकी कार्यवृत पंजिका, कैशबुक, सदस्यता शुल्क की रसीद बुक, बैंक पासबुक, सी.ए. द्वारा आडिटेड बैलेन्सशीट व अन्य तत्सम्बन्धी प्रमाण तीन माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक निबन्धक

वाराणसी

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01237/2025-2026

दिनांक 14/10/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/VAR/09760/2025-2026 पत्रावली संख्या:I-34748 दिनांक:1974-1975

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **SUNBEAM ENGLISH SCHOOL SOCIETY, 206, BHAGWANPUR LANKA, VARANASI, वाराणसी, 221005** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2124/1974-75 दिनांक-20/12/1974 को दिनांक-11/10/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(ANOOP MISHRA)
5865CCCB5C4F1F87FE9E00D43BAF352A55AB91BA
Date: 14/10/2025 3:13:58 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-14/10/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

संस्था द्वारा सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों का न तो संचालन किया जायेगा और न ही किसी उपाधि पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं को ऐसा करने के पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(शासनादेश संख्या 1663/सत्तर-1-09, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 06 अगस्त 2009 एवं रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1250-1262/लखनऊ दिनांक 28-8-2009 के अनुपालन में)